न्यायालय : अमित निगम, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद, जिला देवास (म0प्र0)

B.A. NO-183/**2026** F.NO - 1832/2026 MP4108002229-2026 आरक्षी केन्द्र– सतवास अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)	**1. सोनू उर्फ पवन पिता कमलसिंह राजपूत उम्र–28 वर्ष, निवासी शाष्त्री कॉलोनी वार्ड नम्बर 04 सतवास जिला देवास म.प्र.** **2. गणेश पिता जुगतराम मालाकार, जाति माली, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 7, तहसील सतवास, जिला देवास म.प्र.** ..... आवेदकगण/अभियुक्तगण **बनाम** म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–सतवास, जिला देवास (म0प्र0) .....अभियोगी

B.A. NO-185/**2026** F.NO - 1833/2026 MP4108002230-2026 आरक्षी केन्द्र– सतवास अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)	**विनोद पिता दल्लू, जाति गवली, आयु 26 वर्ष, निवासी ग्राम बाईजगवाड़ा, तहसील सतवास, जिला देवास म.प्र.** ..... आवेदक/अभियुक्त **बनाम** म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–सतवास, जिला देवास (म0प्र0) .....अभियोगी

B.A. NO-186/**2026** F.NO - 1836/2026 MP4108002233-2026 आरक्षी केन्द्र– सतवास अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)	**मोहित पिता धीरज अमरेश, आयु 19 वर्ष, निवासी 7, सुभाष मार्ग कांटाफोड़, कस्बा कांटाफोड़, जिला देवास म.प्र.** ..... आवेदक/अभियुक्त **बनाम** म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–सतवास, जिला देवास (म0प्र0) .....अभियोगी

B.A. NO-187/**2026** F.NO - 1837/2026 MP4108002234-2026 आरक्षी केन्द्र– सतवास अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)	**जितेन्द्र पिता राजेन्द्र योगी, आयु 25 साल, निवासी वार्ड नम्बर 04 सतवास, तहसील सतवास, जिला देवास म.प्र.** ..... आवेदक/अभियुक्त **बनाम** म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–सतवास, जिला देवास (म0प्र0) .....अभियोगी

B.A. NO-188/**2026** F.NO - 1840/2026 MP4108002238-2026 आरक्षी केन्द्र– सतवास अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)	**अजय पिता गोपाल, जाति देशवाली, आयु 27 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम लोहारदा, थाना कांटाफोड़, तहसील सतवास जिला देवास म.प्र.** ..... आवेदक/अभियुक्त **बनाम** म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–सतवास, जिला देवास (म0प्र0) .....अभियोगी

//आदेश//

17.08.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण सोनू एवं गणेश की ओर से श्री संतोष जायसवाल अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त विनोद की ओर से श्री महेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त मोहित की ओर से श्री विनय कुमार अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र की ओर से श्री शोभित व्यास अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त अजय की ओर से श्री भारत शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीप पटवा उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण के उपरोक्त तथाकथित प्रथम प्रतिभूति आवेदन अन्तर्गत धारा बी.एन.एस.एस की धारा–483/ पर तर्क/सुनवाई हेतु नियत है।

उपरोक्त प्रतिभूति आवेदनपत्रों का एक ही अपराध से संबंधित होने से उपरोक्त पाचों प्रतिभूति आवेदनपत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावली एवं संबंधित थाने से केस डायरी मय प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय एम.पी. जबलपुर द्वारा **दीपक यादव विरूद्ध म. प्र. राज्य, एम.सी.आर.सी. नम्बर 8227/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023** के अनुपालन में वांछित विशिष्टियां निम्नानुसार है–

घटना दिनांक	07.08.2026
अपराध की सूचना	07.08.2026
अपराध क्रमांक एवं आरोपित अपराध	आरक्षी केन्द्र सतवास के अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3)
जितेन्द्र, मोहित गिरफ्तारी दिनांक	07.08.2026
विनोद, गणेश, सोनू, अजय की गिरफ्तारी की दिनांक	08.08.2026
अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक	अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं।

आवेदन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का बी.एन.एस.एस की धारा–483 के अंतर्गत जमानत हेतु यह कथित प्रथम नियमित जमानत आवेदन बताया गया है, इस संबंध में अभियुक्त सोनू एवं गणेश की ओर से श्री तेजपाल सिंह निवासी सतवास की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया एवंअभियुक्त विनोद की ओर से चेतन गवली निवासी भामर के द्वारा शपथपत्र पेश किया गया एवं अभियुक्त मोहित की ओर से धीरज अमरेश निवासी कांटाफोड़ के द्वारा शपथपत्र पेश किया गया एवं जितेन्द्र की ओर से मोहित शर्मा निवासी सतवास के द्वारा शपथपत्र पेश किया गया एवं आवेदक/अभियुक्त अजय की ओर से ऋषभ मीणा निवासी लोहारदा के द्वारा शपथपत्र पेश किया गया, जिसका खंडन लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि, वे निर्दोष है उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उन्हें झूँठा एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। अग्रेतर यह तर्क किया गया कि वे थाना कांटाफोड़ का मूल निवासी है, जिससे उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए तत्पर है। अतः उन्हें नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि, फरियादी सलमान द्वारा थाना सतवास पर उपस्थित होकर यह सूचना दी गई कि वह ड्राइवरी का काम करता है, उसके साथ शाहिद भी ड्राइवरी करता है। वे दोनों आयशर गाड़ी क्र. सी.

जी04क्यू.यू7157 से सिहोर से गेहूं एवं आटा भरकर औरंगाबाद महाराष्ट्र ले जा रहे थे, दिनांक 07.08.2026 को रात्रि करीबन 12:55 बजे उनके पुनासा रोड बाईजगवाड़ा नायरा पेट्रोल पंप के पास पहुचने पर पीछे से एक सफेद कार एवं एक ईको कार एवं एक पिकअप कार ने उनकी गाड़ी रूकवा ली और तीनों गाड़ियों में बैठे लोगों ने उन्हें गाड़ी में से उतारकर लाठी, डंडे लेकर उन्हें मां बहन की गालियां दी और और धमकी दी कि हमारे रोकने पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी और गाड़ी में क्या भरा है, कहां भरकर ले जा रहे और यहां से गाड़ी निकालोगे तो हमें इसके एवज में रूपए देने पड़ेंगे, और पीड़ित सलमान और शाहिद से रूपए मांगने लगे नहीं देने पर गालियां दी और उनके साथ लाठी, डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें लगी। मारपीट करने वाले लोगों में सुमेर दरबार, सोनू दरबार, जस्टीन योगीनाथ, गबरू, गणेश माली, एवं उनके अन्य साथी भी थे, जाते हुए बोले कि अयंदा गाड़ी नहीं रोकी तो जान से खत्म कर देंगे, फिर उसने पुलिस को 112 पर फोन लगाया और थाने रिपोर्ट करने आया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ के अपराध क्रमांक 316/2026 अंतर्गत अपराध–बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनांक 07.08.2026, 08.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। उक्त दिनांक को अभियुक्तगण को जेल भेजा गया था, तब से अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा होकर जेल में निरूद्ध है, जिन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने बाबत् हस्तगत आवेदनपत्र पेश किया गया है।

उभयपक्ष को प्रतिभूति आवेदनपत्र का सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा–115(2), 126(2), 119(1), 191(2), 193(3), 296बी, 351(3) का आरोप है। प्रकरण में विवेचना जारी होकर अभी अभियोगपत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामला है। केस डायरी के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई दोषसिद्धि अभिलेख नहीं है। ऐसी कोई परिस्थितियों में केस डायरी के अवलोकन से परीलक्षित नहीं होती है, जिनसे अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य से कोई हस्तक्षेप संभाव्य हो। अभियुक्तगण उनके पते के स्थाई निवासी होना दर्शित है, उनके न्यायालयीन कार्यवाही से भागने की संभावना दर्शित नहीं होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को निरूद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः विचारोपरांत उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त पांचों जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023 **स्वीकार** किए जाते है एवं आदेशित किया जाता है कि यदि **प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त** की ओर से विचारण

न्यायालय की संतुष्टि योग्य **50,000/–रूपये** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निम्नशर्तो के पालन में प्रस्तुत किया जाये तो आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाये।

शर्ते–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण अपराध के तथ्यों की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकटीकरण करने हेतु उसे प्रकोपित नहीं करेगा तथा धमकी और वचन नहीं देगा।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण समान अपराध कारित नहीं करेगा।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंधपत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करेगा।

उक्त आदेश के एक प्रति संबंधित न्यायालय की रिमाण्ड पत्रवाली में सलंग्न की जावे एवं एक प्रति केस डायरी के साथ सलंग्न करते हुए अविलंब संबंधित को वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित हो।

अमित निगम
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कन्नौद, जिला देवास म.प्र.

AMIT NIGAM

Digitally signed by AMIT NIGAM
Date: 2026.08.17 14:40:55 +0530